(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सुन रहा हूं बाजपेयी जी । इन्होंने सब ने तो फैसला कर लिया है कि कोई किसी की बात नहीं सुनेगा । मैंने एक बात कही है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई सवाल पैदा नहीं होता । आप सुनते क्यों नहीं ? आप सुनिए मेरी बात । मेरी बात बगैर सुने आप को क्या पता चलेगा कि क्या कह रहा हूं मैं ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: राम विलास जी आप सब सुनते ही नहीं हैं ।

आप बैठ जाइए, सुनिये मेरी बात ।

12.05 hrs.

QUESTION OF PRIVILEDGE.

अध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य का अपमान कहीं भी हो वह सदन का अपमान है । उस मसले को जिस गम्भीरता से लेना चाहिए वह हम लेंगे, यही मैं आपसे कह रहा हूं । मैं जो कर रहा हूं वह मुझे करने दीजिए । यह मेरे विचाराधीन है । (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अभी हमें पता ही नहीं है कि मसला क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : जो मसला आप कहना चाहते हैं वही तो मैं कर रहा हूं । (व्यवधान) अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं ।

श्री कुंवर राम (नवादा) : अध्यक्ष महोदय, 29 तारीख को मेरे साथ जो घटना बिहार में घटी है उसके सम्बन्ध में इन्होंने एक प्रिविलेज मोशन मूव किया है और अब जानना चाहते हैं कि उस प्रिविलेज मोशन पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं । मैं उस सारी घटना को बताए देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए, यह गम्भीर मामला है । (व्यवधान) । क्या आपके साथ यह घटना घटी है ?

श्री कुंवर राम : जी हां । मैं वही घटना बतला रहा हूं जिसके लिए आपके पास प्रिविलेज मोशन पड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने लिख कर दे दिया है । मैं उसी की बात कर रहा हूं । और कौन सी बात कर रहा हूं ? (व्यवधान) ।

श्री कुंवर राम : 29 तारीख को जब मैं बिहार गया तो मेरी पत्नी बोली कि दवा के लिए पैसे घट रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय: वह सारा आपने लिख कर मुझे दिया है । (व्यवधान) आप लोग क्यों बोलते हैं बीच में ? (व्यवधान)

श्री कुंवर राम : बारह बजने में दस मिनट बाकी थे, हम अपनी बच्ची की बीमारी की दवाई खरीदने के लिए पैसा लेने बैंक गए, वह बैंक बिहार सचिवालय के कैम्पस में है । बिहार सचिवालय को

** Not recorded.

चारों तरफ से वहां की हुकूमत ने बन्द कर रखा है और साढ़े दस से ले कर डेढ़ बजे तक किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। हम जब गेट पर गए तो बारह बजने में दस मिनट बाकी थे, शनिवार का दिन था और शनिवार को बैंक बारह बजे तक होती है। मेरे साथ मेरा लड़का भी था। मैं स्कूटर ड्राइवर कर रहा था, स्कूटर को मैंने स्टार्ट रखा हुआ था ताकि गेट अगर खुले तो अन्दर जल्दी चले जायें और जा कर बैंक से पैसा ले लें। मेरे लड़के ने कहा कि ये मेम्बर आफ पार्लमेण्ट हैं, इनको बैंक से पैसा लेना है, कोई दफ्तर में नहीं जाना है। उसने कहा कोई भी हों, अगर आईडेंटिटी कार्ड है तो दिखलावें। उस वक्त मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। हम इम्मीडिएटली अपने बच्चे को स्कूटर पर बिठा कर पहले घर गये, बगल में ही हमारा घर था, वहां से हमने आइडेंटिटी कार्ड लिया। आइडेंटिटी कार्ड लेने के बाद हम फिर उसी गेट पर आए। हमारे बच्चे ने उतर कर कहा कि यह आइडेंटिटी कार्ड है तो पुलिस ने कहा कि आप दूसरे गेट से चले जायें। इससे हमारे बच्चे को बहुत तकलीफ हुई कि हमें पैसा लेना हैं, बारह बजे तक बैंक है और अब बारह भी बज चुके हैं, यह हमें दूसरे गेट पर जाने के लिए बोलता है जब कि उसी ने कहा था कि आइडेंटिटी कार्ड ले आवो। बच्चे ने कहा यह बिल्कुल गलत बात है, हम बैंक जाना चाहते हैं, बैंक को भी आप लोगों ने बन्द करके रखा है। इस पर पुलिस वाला कहता है कि अगर ज्यादा जोर से बोलोगे तो चुरकी कबार लूंगा और आंख निकाल लूंगा। (व्यवधान) हम वहीं पर खड़े हैं, इस बात को सुनने के बाद भी मेरा बेटा आईडेंटिटी कार्ड दिखा रहा है। लेकिन जब उसने इस बात को कहा तो हमको बहुत तकलीफ हुई। हमने कहा ईडियट, नानसेन्स, तुम को बोलने की तमीज भी नहीं है? तो जानते हैं, उसने क्या कहा? उसने कहा मादरचोद, बहनचोद, एम० पी०, 35 लाठी मारूंगा। (व्यवधान) उसके बाद मेरा कलेजा बैठ गया, उन शब्दों को सुनने के बाद। हमने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री यहां नहीं आयेंगे और उसको सस्पैंड नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं जायेंगे। सचिवालय के बहुत से छोटे कर्मचारी जो इस व्यवस्था यानी घेराबन्दी से बिल्कुल परेशान थे, वे हमारे बीच में खड़े हो गए, लगभग 10 हजार की भीड़ लग गई। बाद में नारे लगने लगे। हमने यह देखा कि लॉ-एंड-आर्डर का प्राब्लम हो जायेगा, हमने बेटे को कहा कि जा कर जल्दी चीफ़ मिनिस्टर को इन्फार्म करो और या तो किसी भी आफिसर को भेज सकते हैं या अपने आप आ सकते हैं तो यह मामला शान्त हो सकता है, लेकिन हकूमत की ओर से कोई भी नहीं आया। फिर हमको खुद जाना पड़ा मुख्य मंत्री के डेरे पर। मुख्यमंत्री के पास जा कर हमने बयान दिया और मुख्य मंत्री का जो व्यवहार था, यह जाने के बाद कि मैम्बर आफ पार्लियामेंट के साथ यह घटना घटी है, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि लिख कर दे दो और चले गए कोठे पर। इस तरह का उनका व्यवहार हुआ और उनका पुलिस के प्रति इतना प्रेम था। यह हमारे साथ बेइज्जती हुई। इस तरह की बेइज्जती मैम्बर आफ पार्लियामेंट के साथ ही नहीं और भी लोगों के साथ हुई है, जो विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य हैं। एक-दो और मैम्बर आफ पार्लियामेंट के साथ हुआ है, इसका नोटिस आपके यहां नहीं दिया गया। इस पर आपको विचार करना चाहिए। इसमें प्रीवलैज का मैटर बनता है।

MR. SPEAKER: It is under my active consideration. (*Interruptions*)

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE (New Delhi): There is a *prima facie* case for referring it to the Privileges Committee.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): We had a similar case dur-

[Shri Jyotirmoy Bosu]

ing the Fifth Lok Sabha where two of our members, Mr. Ajit Kumar Saha and Mr. Gadadhar Saha, were insulted and humiliated at the Asansol railway station. The House immediately took a decision and the matter was referred to the privileges Committee. The policemen involved were summoned and the action was taken against them. (*Interruptions*)

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE: There is a *prima facie* case. Either we believe the hon. Member or we do not believe him.

MR. SPEAKER: I have the precedent. This will go to the Privileges Committee.

12.12 hrs.

STATEMENTS OF PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh): I beg to lay on the Table English and Hindi versions of the following statements:—

(1) Statement showing Action Taken by Government on the recommendations contained in Chapter I and final replies in respect of Chapter V of Hundred and second Report (Sixth Lok Sabha) on Export of Bicycles and Bicycle Components during 1970's.

(2) Statement showing Action Taken by Government on the recommendations contained in Chapter I and final replies in respect of Chapter V of Hundred and thirteenth Report (Sixth Lok Sabha) on Road Development during Fourth Plan.

MR. SPEAKER: Nothing will go on record without my permission.

(*Interruptions*)**

12.13 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Hotel-Receipts Tax Bill, 1980, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th November, 1980, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

12.14 hrs.

ASSENT TO BILL

SECRETARY: Sir, I lay on the Table the Assam Appropriation (No. 2) Bill, 1980, passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on 18th November, 1980.

12.15 hrs.

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

THIRD REPORT

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): Sir, I beg to present the Third Report (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation.

(*Interruptions*)**

MR. SPEAKER: If you want to say without my pemission, it is not being recorded.

(*Interruptions*)**

** Not recorded.